को पेश हो। (हस्ताक्षर)

23-4-18 पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(2)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

कृष्णलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

. बृजलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
. कमला पुत्री बृजलाल पत्नि महेन्द्र प्रताप जाति जाट निवासी 32 पीएस–ए सावंतसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
. सुमित्रा देवी पुत्री बृजलाल पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
. सुनीता पुत्री बृजलाल पत्नि कृष्णकुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
. युको बैंक हनुमानगढ़ टाउन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 38 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरीकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 23.4.18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 मे एकल खाता मे कुल 6.304 है0 मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा स्व. बेगाराम की भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरासतन प्रतिवादी सं. 1 पर औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 का जन्म से ही अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने उक्त पैतृक भूमि का घरूबंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज रहकर घरूबंटवारा के रोज से काश्त कर रहे है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 मे एकल खाता मे कुल 6.304 है0 मय गैरमुमकिन भूमि मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 व वादी की ओर से दिनांक 16.03.2018 को स्वयं उपस्थित आकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 के रिलिफ हक को सुरक्षित रखते हुए तलबी बंद की गई।

वादी की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 सम्वत 2070–2073, जमाबंदी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 32 सम्वत 2037 व वारिसनामा की चित्रप्रति पेश किये गये।

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद साबित होने से वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा प्रश्नगत आराजी मे है। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने अपना हक परित्याग घरूबंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे किया है। पक्षकारो ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी जमाबंदी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 32 सम्वत 2037 से वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद होना साबित होता है तथा जमाबंदी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 सम्वत 2070–2073 के अनुसार उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को प्राप्त हुई है। जद्दी जायदाद होने से इनका प्रश्नगत आराजी मे Birth Right है। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादी घरू विभाजन मे मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहा है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 सम्वत 2070–2073 की कुल 6.304 है0 मय गैरमुमकिन भूमि मे से 3.152 है0 मय गैर मुमकिन भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 2 ता 4 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादी से वसूल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 23.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(4)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

कृष्णलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

बृजलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

कमला पुत्री बृजलाल पत्नि महेन्द्र प्रताप जाति जाट निवासी 32 पीएस–ए सावंतसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

सुमित्रा देवी पुत्री बृजलाल पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

सुनीता पुत्री बृजलाल पत्नि कृष्णकुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. युको बैंक हनुमानगढ़ टाउन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या 38 सन् 2018 निर्णय दिनांक 23.4.18

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 श्री अमरीकसिंह की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 10 एसएसडब्ल्यू–ए खाता सं. 60/41 सम्वत 2070–2073 की कुल 6.304 है0 मय गैरमुमकिन भूमि मे से 3.152 है0 मय गैर मुमकिन भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 2 ता 4 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादी से वसूल किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 23.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner